



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट- <http://samvad.cg.nic.in/> फोन नं. 0771-2512580/81

क्रमांक 2754 / छगसं. / क्षे. प्र. / 2026

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 / 09 / 2026

छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले रेलवे इंजिन/बोगी के बाहरी वॉल एवं रेलवे बोगी की आंतरिक साइड में राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए दर निर्धारण हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले किसी भी ट्रेन (पेसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि) इंजिन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल एवं रेलवे बोगी के आंतरिक साइड में ब्रांडिंग/विज्ञापन के दर निर्धारण हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जमा करने एवं निविदा खोलने की तिथि निम्नानुसार है :-

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 1,180 / - (जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रुपये 1,00,000 / - (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्री-बिड मीटिंग	दिनांक 25 / 09 / 2026 समय 3:30 बजे अपरान्ह (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी) (प्री-बिड सुझाव दिनांक 28.09.2026 तक जमा किया जाना है)
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक 22 / 10 / 2026 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 22 / 10 / 2026 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 22 / 10 / 2026 समय 4:00 बजे सायं से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद

नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले रेलवे इंजिन/बोगी के बाहरी वॉल एवं रेलवे बोगी के आंतरिक साइड में राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम-मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारीयों, उपलब्धियों के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।

2 . उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :-

शासन की विभिन्न विभागों, निगम, मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं हेतु जनकल्याणकारी योजनाओं का छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले सभी प्रकार की ट्रेनें यथा— पेसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि रेलवे इंजिन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल एवं रेलवे बोगी के आंतरिक साइड में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है।

3. इम्पैनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें:-

निविदाकर्ता फर्मों को टेक्निकल बिड में निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना है :-

- (1) पैन कार्ड की प्रति।
- (2) Assessment Year 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 का आयकर रिटर्न की प्रति।
- (3) सी.ए. से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 अथवा 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 का औसतन न्यूनतम राशि रु. 10 लाख का वैध यू.डी.आई.एन. अंकित टर्नओव्हर प्रमाण-पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- (4) निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1,180/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 1,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-

Account Name : Chhattisgarh Samvad
Bank Name : Indian Bank
Branch Name : Sector-27, Nawa Raipur (C.G.)
Saving Account No. : 20246301259
IFSC Code No. : IDIB000N571

4. फर्मों के पास छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले किसी भी ट्रेन (पेसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि) इंजिन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल एवं रेलवे बोगी के आंतरिक साइड में ब्रांडिंग/विज्ञापन हेतु रेलवे के साथ अनुबंध निष्पादित होना अनिवार्य है। अनुबंध की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। इम्पैनलमेंट अवधि के दौरान एजेंसी का रेलवे के साथ निष्पादित अनुबंध की अवधि समाप्त होने की स्थिति में एजेंसी को तब तक कार्य आबंटन नहीं किया जाएगा जब तक कि विज्ञापन हेतु अनुबंधित अवधि में नवीनीकरण एवं नवीन अनुबंध निष्पादित नहीं हो जाता।
5. फर्म को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्था के ब्रांडिंग/विज्ञापन संबंधी अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।

6. छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सूची में डाले गये फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में फर्म को निर्धारित प्रारूप में राशि रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है। शपथ-पत्र की प्रति (हार्ड कापी) निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय के पूर्व अपरान्ह 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक SF-10 में जमा किया जाना है।
7. छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन अपलोड किया जाना है।
8. निविदाकार द्वारा सभी प्रकार के रेलवे इंजन/बोगी में ब्रांडिंग/विज्ञापन हेतु NGT (National Green Tribunal) एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई भी प्रतिबंधित मटेरियल नहीं उपयोग किया जाना है। यदि एजेन्सी/फर्म इस प्रकार के कोई भी शासन द्वारा प्रतिबंधित मटेरियल उपयोग किये जाने पर छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निविदा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
9. निविदा आमंत्रण का उद्देश्य दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का पैनल तैयार करने के लिए है।
10. दरें आमंत्रित करने के पश्चात् न्यूनतम दर पर टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए एवं निविदा के न्यूनतम दर पर सहमत फर्मों का दो वर्षों के लिए इम्पैनलमेंट किया जाएगा।
11. रेलवे इंजन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल एवं रेलवे बोगी के आंतरिक साइड में ब्रांडिंग/प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रण एवं पेस्टिंग हेतु फाईनेन्सियल बिड में पृथक से प्रति वर्ग फीट दर आमंत्रित की गई है।
12. समय सीमा व वांछित गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संवाद द्वारा गठित समिति या संवाद/विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से परीक्षण कराया जायेगा। कार्य वांछित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने से कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से राशि कटौती कर भुगतान किया जावेगा। गुणवत्ता या कार्य में गंभीर खामियां होने पर देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं L1 एजेंसी द्वारा कार्य नहीं करने पर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी और संबंधित एजेन्सी को आगामी एक वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा।
13. कार्य पूरा करने के पश्चात् संबंधित विभाग से कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र एवं फर्म द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ्स GPS लोकेशन सहित दो-दो प्रतियों के साथ देयक प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा अनुपातिक दर पर देयक में कटौती किया जायेगा। छत्तीसगढ़ संवाद शासन की एक एजेंसी है एवं संबंधित विभाग के कार्यादेश अनुरूप फर्मों से कार्य कराया जाता है। इसलिए संबंधित विभाग द्वारा कार्य एवं देयक सत्यापन पश्चात् भुगतान करने पर कार्य पूर्ण माना जायेगा।
14. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरें निविदा अनुमोदन तिथि से आगामी दो वर्षों के लिए मान्य होगी इसके पश्चात् अवधि में कमी अथवा वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा। निविदा समिति को दरों में निगोसियेशन का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा समिति द्वारा निविदा दर/D.A.V.P. में उपलब्ध दर/अन्य शासकीय संस्था में प्रचलित दर/अन्य दर अनुसार निगोसियेशन कर दर निर्धारण किया जायेगा।
15. निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
16. एजेन्सी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।

17. बिन्दु क्र 06 में उल्लेखित नोटरी से सत्यापित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार्य नहीं होगा एवं वांछित दस्तावेज ऑनलाईन जमा नहीं होने की स्थिति में टेक्नीकल बिड अमान्य किया जायेगा।
18. तकनीकी बिड खोलने के पश्चात् निविदाकार द्वारा निविदा पंजीकृत करने की स्थिति में अथवा निविदाकार द्वारा जमा कोई दस्तावेज/जानकारी गलत या जाली साबित होती है तो निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि जप्त किया जाएगा।
19. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रु. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद, नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
20. पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य/कार्यादेश नहीं दिया जायेगा। उक्त कार्यावधि के पश्चात् दोबारा उक्त स्थिति निर्मित होने पर संबंधित फर्म को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड एवं अमानत राशि राजसात किया जायेगा।
21. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में ट्रेन के बाहरी वॉल/आंतरिक साइड में प्रदर्शित हो रहे विज्ञापन का फोटो अपलोड करना होगा एवं तदानुसार देयक स्वीकार्य होगा।
22. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :-**किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
23. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट- <http://samvad.cg.nic.in/> फोन नं. 0771-2512580

छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले सभी प्रकार की ट्रेनों यथा- पैसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि रेलवे इंजन/बोगी के बाहरी वॉल एवं रेलवे बोगी के आंतरिक साइड में राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय दरें (फाईनेन्शियल बिड)

क्र.	माध्यम	स्पेस चार्ज दर प्रति वर्गफीट प्रतिमाह (राशि रुपये में)
1	छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले सभी प्रकार की ट्रेनों यथा- पैसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि रेलवे इंजन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु स्पेस चार्ज	
2	छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले सभी प्रकार की ट्रेनों यथा- पैसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि रेलवे बोगी के आंतरिक साइड में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु स्पेस चार्ज	
3	ब्रांडिंग/प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रण एवं पेस्टिंग चार्ज (ट्रेन में ब्रांडिंग/ प्रचार-प्रसार हेतु इंजन एवं बाहरी वॉल पर विज्ञापन हेतु NGT एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिबंधित सामग्रियां न हो एवं जो भारतीय रेलवे द्वारा मान्य हो इस प्रकार का सामग्री देवें एवं उसका पेस्टिंग सहित दर)	दर प्रति वर्ग फीट

टीप : जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा।
स्थान _____

दिनांक _____

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
नाम व पूर्ण पता
सील मुद्रा

शपथ-पत्र

मैं _____ संस्था प्रमुख निवासी _____ छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा हेतु प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था _____ किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर